# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/19

1. बसाउराम पुत्र इमीलाल जाति मेघवाल निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

**बनाम** .... प्रार्थी

1. सजनादेवी पत्नि बृजलाल जाति कुम्हार निवासी पतरोड़ा तहसील अनुपगढ़ हाल चक 24 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. मरियादेवी पत्नि भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 17 भैरू मोहल्ला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. श्री जयवीरसिंह तंवर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

**आदेश** **दिनांक :–** 17.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी सं0 1 ता 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । दिनांक 21.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र का इकबालिया जवाब दिनांक 11.02.2020 को पेश किया।

अप्रार्थी सं0 1 का जवाब शामिल मिशल किया गया जिसमें उन्होनें बताया प्रार्थी का रकबा चक 8 के.जे.डी. (ए) का मु0नं0 102/12 के किला नं0 21 में 1.00 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें कटानशुदा रास्ता था। लेकिन प्रार्थी ने उक्त भूमि को आवासीय भूमि के रूप में बेचान कर समस्त राशि प्राप्त कर ली थी और प्रार्थी अप्रार्थी के खेत में न्यायालय को भ्रमित कर रास्ता लेना चाहता है और इसी चक के मु0नं0 102/18 के किला नं0 19 में 16 बिस्वा के चिपता रकबा किला नं. 19 की 4 बिस्वा भूमि हरपाल सिंह पुत्र श्री सन्तासिंह की नामान्तरण सं0 506 दिनांक 07.11.2019 से औधोगिक संपरिवर्तन स्वीकृत है। प्रार्थी के पास मात्र 16 बिस्वा भूमि है और उसके चिपती भूमि में मौका पर भवन बना हुआ है। जब भूमि का छोटा टुकड़ा वाणिज्यिक उपयोग हो तो प्रार्थी का रकबा कृषि उपयोग की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृति के लिए कृषि भूमि का कृषि उपयोग होना आवश्यक है। और अप्रार्थी सं01 ने निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड दर्ज कागजात है तथा कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा प्रार्थी को अपने खेत में आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्प हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि प्रार्थी के अपने रकबे में प्रवेश के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी मु0न0 102/18 के किला नं0 19 के नजदीकी किला नं0 20 में 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में 2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में बताया कि मेरा रकबा दक्षिण दिशा का है तथा बैयनामा पेश किया, जिसमें नोट लगा है और प्रार्थी किला की सींव पर रास्ता चाहता है जो नजरी नक्शा में प्रार्थी ने चाहा है। इसलिए अप्रार्थी सं02 को बेवजह पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 किला नं0 20 में जो अप्रार्थी सं0 1 के कब्जा काश्त में है तथा 4/5 हिस्सा दर्ज है में से किला की सींव पर पश्चित से पूर्व 2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी सं0 1 उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: